संख्या:83/2024/1151/2024/1860008/12-2099/279/2024

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024**

विषयः फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं तहसील स्तर पर बीमा कम्पनियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले कार्यालयों को कृषि विभाग के परिसर में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किये जाने हेतु शासन द्वारा अधिसूचना संख्या:57/2023/1035(2) /476477/12-2-2023/60(3)/2016 दिनांक 15 जुलाई, 2023 को जारी की गयी है। अधिसूचना के प्रस्तर-15 में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 30 कार्यदिवसों के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद व जनपद के प्रत्येक तहसील में बीमा कम्पनी का क्रियाशील कार्यालय स्थापित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है, जिसके क्रम में बीमा कम्पनियों द्वारा जनपद एवं तहसील स्तरीय कार्यालय खोले गये हैं।

2. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, योजना के अन्तर्गत कृषकों की फसलों के नुकसान सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने एवं कृषकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु यह उचित है कि बीमा कम्पनी के कार्यालय कृषि विभाग के जनपद एवं तहसील स्तरीय कार्यालय में खुलवाये जायें, जहाँ पर कृषक नियमित रूप से आते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि बीमा कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कृषकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग के जनपदीय उप कृषि निदेशक के कार्यालय एवं तहसील स्तर पर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारियों के कार्यालय में बीमा कम्पनी के कार्यालय खुलवाने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:83/2024/1151(1)/2024/1860008/12-2099/279/2024

प्रतिलिपि निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या:एस-2570/सी-32/07/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

गुन्जन दुबे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।